न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 3/26 सन् 2026
जीसीएमएस संख्या 2026/16

बउनवानी :–1. बंशीलाल पुत्र छीतर लाल गुर्जर निवासी बगीना तह0 चौथ का बरवाडा
2. केदार पुत्र रामकरण गुर्जर निवासी बगीना तह0 चौथ का बरवाडा
3. भंवर लाल पुत्र छक्ष्मण गुर्जर निवासी बगीना तह0 चौथ का बरवाडा
4. मनराज पुत्र छक्ष्मण गुर्जर निवासी बगीना तह0 चौथ का बरवाडा
5. लेखराज पुत्र मथुरालाल गुर्जर निवासी बगीना तह0 चौथ का बरवाडा

बनाम

1. जन्सी पुत्र छीतर लाल गुर्जर निवासी बगीना तह0 चौथ का बरवाडा

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा मे जैरकार मुकदमा संख्या 40/2025 उनवानी जन्सी लाल बनाम बंशीलाल वगै. अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955)

उपस्थितः 1. श्री श्रीदास सिंह राजावत वकील प्रार्थी
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक 01.4.2026

वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा में विचाराधीन मुकदमा संख्या 40/2025 उनवानी जन्सीलाल बनाम बंशीलाल वगै. के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की वंशावली इस प्रकार हैः–छीतर (पुत्र) → रामकरण, लक्ष्मण (फौत), चौथमल, जन्सीलाल, बंशीलाल (रामकरण के पुत्र) → केदार (लक्ष्मण के पुत्र/पुत्री) → गीता (पुत्री), भंवरलाल, मुकनलाल, मनराज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की आराजीयात खसरा नं० 15 रकबा 0.04 है० गै०मु०चाह, ख०नं० 16 रकबा 0.35 है०, ख०नं० 17 रकबा 0.83 है०, ख०नं० 2901/14 रकबा 0.11 है०, ख०नं० 2903/14 रकबा 0.14 है०, ख०नं० 2911/2 रकबा 0.30 है० कुल रकबा 1.77 है० ग्राम बगीना में स्थित है जिन्हें प्रार्थीगण व अप्रार्थी सम्मिलित रूप से काश्त कर रहे है इस समय आराजीयात में प्रार्थीगण व अप्रार्थी की फसल सरसों मौके पर खडी हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थी के पिता छीतर लाल की सन् 2000 में मृत्यु हो गई थी सन् 1999 में छीतर लाल के जीवन काल में आराजीयात परिवार की संयुक्त आय से क्रय की गई थी तथा 5 बीघा भूमि सन् 2000 में परिवार की संयुक्त आय से खरीदी गई थी, उस समय पक्षकारान ने अपनी सुविधानुसार विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवाये थे। इन समस्त आराजीयात को अपनी बताकर अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के विरुद्ध एक दावा बेदखली अप्रार्थी ने न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा में प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है तथा उसमें अगली तारीख पेशी 25.02.2026 नियत हैं। अप्रार्थी जन्सीलाल से न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री जोगेन्द्र सिंह मिल गये है तथा दावा चलते रहने के दौरान ही प्रार्थीगण को आराजीयात से बेदखल करने व प्रार्थीगण की फसल 'सरसों' नष्ट करने पर आमादा है। पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थीगण को बुला कर धमकाया तथा कहा कि मैं तुम्हारी फसल नष्ट करूँगा तथा तुम्हे आराजीयात से बेदखल करूँगा। पीठासीन अधिकारी श्री जोगेन्द्र सिंह ने अपनी इस धमकी को मुर्त रूप देने के लिए प्रार्थीगण को बिनासुने चुपचाप दिनांक 11.11.2025 को श्री जोगेन्द्र सिंह ने प्रार्थीगण की फसल नष्ट करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने का आदेश

.....(1).....

(कन्ना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(मुन्तकिली प्रार्थना पत्र संख्या 03/2026 उनवानी बंशीलाल बनाम जन्सी लाल वगै)

तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को दे दिया जिसकी अनुपालना में तहसीलदार ने दिनांक 20.01.2026 को तहसीलदार ने प्रार्थीगण की फसल नष्ट करने के लिए एक टीम गठित कर दी। दिनांक 21.01.26 को गिरदावर विकास जैन व रामहेत मीना हल्का पटवारी झौपडा सुनील कुमार हल्का पटवारी बरवाडा मौके पर पुलिस लेकर अप्रार्थीगण की फसल नष्ट करने चले गये तब प्रार्थीगण को इस आदेश की जानकारी हुई। प्रार्थीगण ने उसी दिन श्री जोगेन्द्र सिंह जी को मुकदमा बेदखली के बारे में बताया तथा प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु उन्होंने फसल नष्ट करने की कार्यवाही को रोकने से मना कर दिया तथा प्रार्थीगण को जेल में बन्द करने की धमकी दी। फिर प्रार्थीगण ने मौके पर जाकर पुलिस वालों को मुकदमा के बारे में बताया तथा प्रार्थीगण को एक सप्ताह का समय देने की प्रार्थना की तब पुलिस के कहने पर गिरदावर व पटवारी मौके से वापिस लौटें। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का पीठासीन अधिकारी पर से बिल्कुल विश्वास उठ गया है तथा प्रार्थीगण को उनसे न्याय मिलने की कोई आशा नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा उनवानी जन्सी लाल बनाम केदार वगै० न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा से न्यायालय उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर को स्थानान्तरित करने की कृपा करें।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि हम अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व एक दावा उपजिला कलेक्टर न्यायालय चौथ का बरवाडा मे पेश किया है जो 11.8.2025 को दर्ज रजिस्टर हुआ है एवं प्रकरण 25.2.2026 को वास्ते कायम तनकीयात जैरकार है। ऐसी स्थिति में उक्त दावा अप्रार्थीगण के पक्ष मे कैसे निर्णित हो सकता है क्योकि प्रकरण वर्तमान मे तनकी कायम के स्तर पर ही जैरकार है। अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी से कोई सांठ गांठ नही है। केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय मे जैरकार उक्त दावा के निर्णय में देरी करने की गरज से निराधार एवं झूंठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है ।

उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा भी अपनी टिप्पणी मे अंकित किया कि जन्सी लाल पुत्र छीतरलाल गुर्जर निवासी बगीना द्वारा उपजिला कलेक्टर न्यायालय चौथ का बरवाडा मे मु0न0 40/2025 उनवानी जन्सी लाल बनाम बंशीलाल वगै. अन्तर्गत धारा 183 आरटीएक्ट पेश कर रखा है जिसमे आगामी तारीख पेशी 8.4.2026 वास्ते साक्ष्यवादी नियत है। परिवादी जन्सीलाल पुत्र छीतर ने तथ्यो को छिपाते हुए एक प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के कार्यालय मे पेश किया था जिसपर प्रशासनिक स्तर से तहसीलदार चौथ का बरवाडा को नियमानुसार बेदखली के आदेश दिये गये थे। यदि उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापो की पुष्टि वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात यथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका इत्यादि के आधार पर नही होती है किन्तु उपजिला कलेक्टर कार्यालय चौथ का बरवाडा द्वारा परिवादी जन्सीलाल के प्रार्थना पत्र पर प्रशासनिक स्तर से तहसीलदार चौथ का बरवाडा को नियमानुसार बेदखली हेतु लिखे गये पत्र से अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थी का संदेह करना उचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की संतुष्टि के लिए उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाना उचित समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना स्वीकार किया जाकर उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के न्यायालय मे विचाराधीन वाद संख्या 40/2025 उनवानी जन्सीलाल बनाम बंशीलाल वगै.को सुनवायी हेतु उपजिला कलेक्टर मलारना डूॅगर के न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है। पक्षकार दिनांक 12.5.2026 को न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूॅगर में उपस्थित होवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner